

12.5.26

पत्रावली पेश हुई। -चूंकि इस प्रकार
की मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल
अजमेर के पत्रांक 03.6.2024 द्वारा तलब
की गई है। अतः माननीय न्यायालय से
मूल पत्रावली का अंतिम निष्पत्ति होकर
बाधक प्राप्त होने तक पत्रावली की नंबर से
कम किया जाता है।


जिला कलेक्टर
बालोतरा